न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 517/2012
RCMS Case No. 2012/00222

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार बाली

बनाम

अप्रार्थी:—
1. हनवन्तसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर तहसील बाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:: आदेश ::—

दिनांक 27/2/2019

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बीजापुर तहसील बाली के सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2179 रकबा 40.06 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नदी में से अप्रार्थी को भूमि 0.04 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 2179/3 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा अप्रार्थी के नाम बतौर लीजदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 310 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि गै0मु0 नदी का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम बीजापुर के नामान्तरकरण संख्या 310 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बीजापुर तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 2179/3 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बेरा की भूमि हनवन्तसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राजपूत सा0 देह लीजदार 10 साला राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2179 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 310 के जरिये अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। प्ररकण में जिस आदेश के जरिये भूमि अप्रार्थी के नाम आवंटन की गई है, उसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि रेवेन्यू कोर्टस् मैन्यूअल खण्ड II के अध्याय 2 के नियम 30 के अनुक्रम में उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करना आज्ञापक है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाया जाता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतः रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 2 के नियम 21 के तहत तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि वे रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल 1956 खण्ड I के अध्याय 4 तथा खण्ड II के अध्याय 2 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए 15 दिवस की अवधि में नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार बाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली